डॉ0 मानस मणि तिवारी
अर्थशास्त्र विभाग ,
श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज, लखनऊ ।
बी 0ए 0 सेमेस्टर चतुर्थ , द्वितीय प्रश्न पत्र , अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र।

- **अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम** (**IFC)**
- **बहुपक्षीय निवेश गारंटी (MIGA)**
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)**

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation - IFC)

'अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम' विश्व बैंक के क्रियाकलापों में अपना सहयोग देता है, जिससे कम विकसित सदस्य देशों में उत्पादनशील निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निजी क्षेत्रों को पूंजी उधार देकर या उनके अंश खरीद करके उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम स्वयं को विकासशील देशों में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्त के विशालतम स्रोत के रूप में स्थापित कर चुका है। आई.बी.आर.डी का अनुषंगी होने के कारण आई.एफ.सी समान संस्थात्मक संरचना रखता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है। इसकी स्थापना 25 मई, 1955 को वाशिंगटन में हुए समझौते के द्वारा हुई, जो 20 जुलाई, 1956 से प्रभावी हुआ। 20 फ़रवरी, 1957 को आईएफसी संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बन गया। आईएफसी का मूल उद्देश्य उत्पादक निजी या आंशिक रूप से सरकारी उद्यमों की वृद्धि के प्रोत्साहन द्वारा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है।है।

स्थापना - 20 जुलाई, 1956
मुख्यालय - वाशिंगटन डीसी
सदस्य संख्या - 185 (दिसम्बर 2013 तक) इस निगम के करार की धाराएं विश्व बैंक की करार के ढांचे के अनुरूप है निगम का सदस्य बनने के लिए एक देश को विश्व बैंक का सदस्य होना अनिवार्य है।
उद्देश्य -

आई.एफ.सी .के मुख्य उद्देश समझौते के अनुच्छेदों में धारा 1 में वर्णन किए गए हैं ,जो निम्न हैं :
निगम का उद्देश्य देशों , विशेषकर कम विकसित क्षेत्रों , में उत्पादकीय निजी उपक्रम की वृद्धि को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है। इस प्रकार विश्व बैंक के कार्यों का पूरक बनना है। निगम के निम्न उद्देश्य हैं : 1. निगम का निजी निवेशकों के साथ मिलकर उत्पादकीय निजी उपक्रम की स्थापना,सुधार और प्रसार के वित्त-प्रबंधन में सहायता करना है। इसके लिए इसका उद्देश्य सदस्य देश की सरकार की पुनरभुगतान की गारंटी के बिना उस देश में निवेश करना है।
2. घरेलू और विदेशी निजी पूंजी के निवेश शुअवसरों तथा अनुभवी प्रबंधन को इकट्ठा करना है।
3. सदस्य देशों में घरेलू और विदेशी पूंजी उत्पादकीय निवेश में प्रवाहित करने के लिए प्रोत्साहन देना और उसके लिए स्थितियां निर्मित करने में प्रेरक होना है।

संगठन -

विश्व बैंक का अध्यक्ष ही इस निगम का अध्यक्ष होता है परंतु निगम की सभी प्रशासनिक की शक्तियां उपाध्यक्ष में केंद्रित होती हैं। निगम के आठ विभाग हैं, इनमें से चार निवेश के संबंध है जो भौगोलिक आधार पर कार्य करते हैं। बाकी के 4 विभाग पूंजी मार्केट, वित्त और प्रबंधन ,कानूनी विषयों और इंजीनियरिंग से संबंधित हैं जो कार्यात्मक आधार पर परिचालन करते हैं।

कार्य -

अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम बहुपक्षीय विकास बैंक तथा निजी वित्तीय संस्थान, दोनों के रूप में कार्य करता है। यह निजी निवेशकों के सहयोग एवं सरकारी गारंटी के बिना विकासशील देशों में आर्थिक वरीयता वाले उत्पादक निजी उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराता है। निगम द्वारा विकास कार्यों में निजी निवेश के प्रवाह हेतु प्रेरक दशाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। यह निजी रूप से नियंत्रित विकास वित्त कंपनियों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा औद्योगिक देशों में उपलब्ध तकनीकी प्रबंधकीय अनुभव और बाज़ार के ज्ञान व घरेलू प्रायोजन को संयुक्त करने का अवसर उपलब्ध कराने वाले साझा उद्यमों को समर्थन देता है। संक्षेप में, आईएफसी की गतिविधियां निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में केन्द्रित हैं- निवेश, संवर्द्धन, पूंजी बाज़ार कार्यक्रम, तकनीकी सहायता तथा संघ-संघटन। आईएफसी के सदस्यों की संख्या 185 (दिसम्बर 2013 तक) है।
निगम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्य देशों में निजी उपक्रमों को निम्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है:
1. निवेश
2.विदेशी और स्थानीय पूंजी प्राप्त करना
3.तकनीकी सहायता
4. पूंजी मार्केट विकास।

भारत और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम-

भारत वित्त निगम की स्थापना से ही इसका सदस्य हैं। 1959 से निगम ने भारत के लिए लगभग 1 बिलियन डालर के निवेश स्वीकृत किए हैं जो अधिकतर दीर्घकालीन ऋण के रूप में है। भारत में इसके निवेश मुख्य तौर में शक्ति , लोहा और इस्पात ,मोटर ,उद्योग, रसायन और पेट्रो -रसायन तथा सामान्य निर्माण जैसे उद्योगों में हुए हैं। 2002 में इसने भारत में 2034 लाख डॉलर के ऋण दिए।

मूल्यांकन-

जब से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम स्थापित हुआ है , इसने विकासशील देशों में उत्पादक निजी निवेश को प्रोत्साहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने विदेशी और स्थानीय उपक्रम को इकट्ठा करके उनके सहयोग द्वारा अनेक नई औद्योगिक परियोजनाएं प्रारंभ करने में सहायता की है। इसने ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण और इक्विटी पूंजी प्रदान की है और पूंजी तथा मुद्रा बाजार प्रोत्साहित करने में तकनीकी परामर्श दिया है। इसकी मुख्य आलोचना यह है कि इसके द्वारा सहायता अधिकतर विकासशील देशों को दी गई है और न्यूनतम विकासशील देशों को बहुत कम दी गई है।

बहुपक्षीय निवेश गारंटी (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA)

'बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी' विश्व बैंक समूह की ही एक संस्था सदस्य है। इस एजेंसी द्वारा अप्रैल 1988 से विश्व बैंक के बीमा प्रकोष्ठ के रूप में अपना कार्य आरंभ किया गया था।
स्थापना - 1988

मुख्यालय- वांशिगटन डी सी

सदस्य देश- 181

बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विश्व बैंक समूह की ही एक संस्था सदस्य है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का प्रमुख मिशन, विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बनाए रखने में मदद करने के लिए तथा उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई) को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी मदद प्रदान करनी है। साथ ही लोगों के जीवन में सुधार लाने और ग़रीबी को कम करने के लिए अथक प्रयत्न भी करना है।

रणनीति एवं कार्य -

बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के संचालन की प्रमुख रणनीति जटिल ऑपरेटिंग वातावरण में निजी बीमा कंपनियों और निवेशकों ड्राइंग बाज़ार में हमारे सामने सबसे बड़ी शक्ति के लिए खेलता है। यह यह अधिकतम फर्क कर सकते हैं, जहां क्षेत्रों में निवेश वित्तीय सुरक्षा पर केंद्रित है।

1.अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (दुनिया के सबसे ग़रीब देशों में) विकास के सन्दर्भ में सहायता करती है और उन्हें उनका हक़ दिलाने में इमदाद मुहैया कराती है।

2.नाजुक और संघर्षमय परिस्थितियों को कम करते हुए एक बेहतरीन एवं प्रभावित वातावरण का निर्माण करती है।जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षमता को बढाने, प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक प्रभावकारी कदम उठाने के लिए साथ ही ऊर्जा क्षमता और परिवहन परियोजनाओं को आगे बढाने के लिए अनेक कार्यों का संपादन करती है।

3.इसके अलावा ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मजबूत बनाने का भी कार्य करती है।

4.बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी निवेशकों के लिए उपलब्ध बीमा की राशि बढ़ाने के लिए निजी और सार्वजनिक बीमा बाज़ार के साथ स्थायी सहयोग करने के लिए, व्यापार समुदाय का विश्वास बहाल करने के लिए इन क्षेत्रों से उत्पाद और कौशल के अपने अनूठे संदर्भो के सभी तुलनात्मक लाभों को प्रदान करता है।

शेयरधारक-

इसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स और गवर्नर्स परिषद में इसके सभी सदस्य देशों की सहभागिता होती है। यही सदस्य देश इसके सभी नियमो और कानूनों और प्रणालियों का निर्धारण करते हैं। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट शक्तियां इसके गवर्नर्स परिषद में ही समाहित होती है और यही संस्था निदेशक मंडल को शक्तियों का प्रमुख केंद्र बनाती है।

बीमा प्रकोष्ठ-

इस एजेंसी द्वारा अप्रैल 1988 से विश्व बैंक के बीमा प्रकोष्ठ के रूप में अपना कार्य आरंभ किया गया। विश्व बैंक पर आधारित मीगा का उद्देश्य गैर-वाणिज्यिक जोखिमों से पैदा हानियों के विरुद्ध निवेश की सुरक्षा करना है। इस प्रकार के जोखिम चार प्रकार के हो सकते हैं-

- मुद्रा परिवर्तन एवं स्थानांतरण पर मेजबान देश द्वारा आरोपित प्रतिबंधों से उपजा हस्तांतरण जोखिम।

- मेजबान सरकार के प्रशासनिक या वैधानिक कार्यों के परिणामस्वरूप हानि का जोखिम।
- ऐसे मामलों में जहां निवेशक की एक सक्षम फोरम तक पहुंच नहीं है, मेजबान सरकार द्वारा संविदाओं के अस्वीकरण का जोखिम।
- सशस्त्र संघर्ष या नागरिक अशांति के फलस्वरूप उत्पन्न जोखिम।

संरक्षित निवेशों में नकद अथवा अंशभागिता योगदान, ऋण तथा गैर-अंशभागी प्रत्यक्ष निवेश के कुछ निश्चित रूप शामिल हैं। निवेश 15 वर्ष या अपवादस्वरूप 20 वर्ष की अविध हेतु आवरित होते हैं। बीमा के लिए किसी प्रकार के न्यूनतम निवेश की अर्हता तय नहीं होती। MIGA राष्ट्रीय निवेश बीमा एजेंसियों तथा निजी बीमाकर्ताओं के साथ सहयोग करते हुए योग्य निवेशों के सहबीमा या पुनर्बीमा हेतु कार्य करती है। एक 23 सदस्यीय निदेशक बोर्ड द्वारा मीगा का अधीक्षण किया जाता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष मीगा के निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रधान के रूप में कार्य करता है।

भारत और MIGA -

अन्य देशों की तरह भारत में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए MIGA के समझौते पर 13 अप्रैल 1992 को हस्ताक्षर किए। इससे विदेशी निवेशकों को अनेक प्रकार की जोखिम से, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है , बीमा सुरक्षा प्राप्त होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु भारत में अनेक प्रकार के संरचनात्मक समायोजन प्रोग्राम और उदारीकरण उपाय अपनाए हैं। इस प्रकार MIGA से भारत के औद्योगिककरण में बहुत लाभ हुए।

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.)

'विश्व व्यापार संगठन' विश्व की सबसे प्रमुख संस्था है, जो विश्व व्यापार के लिये दिशा निर्देशों को जारी करती है। विश्व व्यापार संगठन' की स्थापना '1 जनवरी, 1995' को की गई थी। यह संगठन नए व्यापार समझौतों में बदलाव और उन्हें लागू कराने के लिए उत्तरदायी है। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। 'विश्व व्यापार संगठन' को 'जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड' (गैट) के स्थान पर बनाया गया था। 'गैट' की स्थापना 1948 में तब हुई थी, जब 23 देशों ने कस्टम टेरिफ कम करने के लिए हस्ताक्षर किए थे। डब्ल्यूटीओ गैट का वृहद स्वरूप है। जहाँ गैट मात्र मर्केडाइज सामानों को नियंत्रित करता था, वहीं डब्ल्यूटीओ के कार्य-क्षेत्र में सेवा व्यापार, जैसे- दूरसंचार और बैंकिंग तथा दूसरे मुद्दे, जैसे- इंटेलेक्चुअल संपत्ति अधिकार भी हैं।

स्थापना - 1 जनवरी, 1995

मुख्यालय - जेनेवा, स्विट्जरलैंड

सदस्यता - 160 राष्ट्र

आधिकारिक भाषा- अंग्रेज़ी, फ़्रेन्च, स्पेनिश

महानिदेशक - रॉबर्टो अजेवेदो

'डब्ल्यूटीओ' की सबसे बड़ी संस्था 'मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' है। यह प्रत्येक दो वर्ष में अन्य कार्यों के साथ संस्था के महासचिव और मुख्य प्रबन्धकर्ता का चुनाव करती है। साथ ही वह 'सामान्य परिषद' का काम भी देखती है। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार और वैश्वीकरण की शुरुआत करने वाले संगठन का नाम है। यह संगठन

विश्व व्यापार के लिए दिशा-निर्देशों को जारी करता है। यह विश्व का सबसे प्रमुख मौद्रिक संगठन है। संगठन अपने सदस्य देशों को जरुरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराता है।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

WTO के मुख्य लक्ष्य नीचे सूचीबद्ध किये गये है:

- WTO का मुख्य लक्ष्य समझौते में कल्पित नई विश्व व्यापार प्रणाली का कार्यान्वयन करना ।
- विश्व व्यापार का इस ढंग से संवर्धन करना जिससे प्रत्येक देश को लाभ प्राप्त हो ।
- यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देशों को उनकी विकास आवश्यकताओं के अनुकूल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले लाभों का बड़ा भाग प्राप्त हो ।
- व्यापार में सभी भागीदारों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाना ताकि उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हो और वैश्विक सम्बद्धता में सहायता प्राप्त हो ।
- विश्व में रोजगार का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिये उत्पादन और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना।
- विश्व संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग एवं विस्तार ।
- विश्व स्तर पर लोगों के जीवन स्तर को सुधारना तथा सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास को तीव्र करना ।

यहां यह याद रखना आवश्यक है कि WTO के यह उद्देश्य लगभग गैट के उद्देश्यों जैसे ही हैं । यद्यपि, WTO के अन्तर्गत इनकी प्राप्ति के लिये निर्यात प्रतियोगिता, बाजार पहुंच और स्वतन्त्र व्यापार की अधिक कठिन एवं कठोर कार्यान्वयन नीति का अनुकरण करना होगा ।

विश्व व्यापार संगठन का क्षेत्र

गैट (GATT) उन वस्तुओं के व्यापार से सम्बन्धित था जो मुख्यता आरम्भिक निर्मित उत्पाद हैं । सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (The General Agreement on Trade in Services) प्रथम बहुपक्षीय समझौता है जिसका लक्ष्य सेवाओं में व्यापार का क्रमिक उदारीकरण है । समझौते में सभी सेवा क्षेत्रों का व्यापार. और सभी रूपों में सेवाओं की पूर्ति सम्मिलित है । इस सम्बन्ध में W.T.O. का क्षेत्र गैट से कहीं अधिक है क्योंकि समझौते में नये क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है अर्थात् वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया के उलझावों को भी । कृषि के विवादास्पद क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है और उत्पादन प्रक्रिया के उलझाव रखने वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है ।

अन्य नये क्षेत्र हैं:

1. व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार (TRIPS)

2. व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय (TRIMS)

3. सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS)

4. उत्पाद से संबंधित व्यापार (Trade in Goods)

WTO गैट की निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अनुकरण करेगा ।

निर्णय सर्वसमिति के नियम पर आधारित होगा, जिसे तब अस्तित्व में माना जायेगा जब किसी सदस्य की ओर से औपचारिक विरोध नहीं होगा । यदि सर्वसमिति से कोई निर्णय लेना कठिन हो तो मतदान का आश्रय लिया जा सकता है । निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा तथा एक देश को एक वोट का अधिकार होगा । इस प्रकार WTO का निष्पादन थोड़ा कठिन है परन्तु इसे गैट से अधिक स्वीकार्यता प्राप्त है ।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

1. व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों के लिए एक उचित मच सदस्यों के लिए प्रदान करना ।

2. विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना ।

3. विश्व स्तर पर आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए IMF एवं IBRD का सहयोग करना ।

4. व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना ।

5. विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना ।

6. सदस्यों के बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे हेतु संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना ।

WTO की जनवरी 1995 के पश्चात मन्त्री स्तरीय कान्फ्रैंस:

1. सिंगापुर (9-13 दिसम्बर, 1996)

2. जनेवा (18-20 मई, 1998)

3. सीएटल (यू. एस. ए.) (30 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1999)

4. दोहा (कतार) (9 से 14 नवम्बर 2001)

5. केनकम (मैक्सिको) (10 से 14 सितम्बर 2003)

6. हांगकांग (13 से 18 दिसम्बर, 2005)

व्यापार, प्रशुल्क ,उदारीकरण , विकास ,दरिद्र ***राष्ट्र, ,अल्पविकसित ,गवर्नर्स*** *,विकासशील ,परियोजनाएं ,निजी निवेश ,।*

संदर्भ ग्रंथ सूची -

1. **अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र -एम एल झींगन।**
2. **भारतीय अर्थव्यवस्था - मिश्रा एवं पुरी।**
3. **भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण - लाल एंड लाल।**
4. भारतीय अर्थव्यवस्था विकास एवं आयोजन- ए0 एन0अग्रवाल।